भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्याय 3753

16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न7

शांता कुमार समिति

3753. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा हेतु गठित शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या मुख्य टिप्पणी और सिफारिशें की गई हैं;

(ग) स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की कार्यपद्धति को दुरुस्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तघर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यई मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य निगम की पुनःरचना के संबंध में श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने देश में खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली के समस्त तंत्र की व्यापक समीक्षा की थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति की प्रमुख सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 16.07.2019 को उत्तफरार्थ अतारांकित प्रश्नत संख्या3753 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध

उच्च स्तरीय समिति की प्रमुख सिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई

	सिफारिश	की गई कार्रवाई
1.	भारतीय खाद्य निगम गेहूं, धान और चावल के समग्र खरीद प्रचालनों को उन राज्योंख को सौंप देगा जिनके पास इस संबंध में पर्याप्तज अनुभव है और जिन्होंक खरीद के लिए उचित बुनियादी सुविधाएं सृजित की हैं। ये राज्यध हैं- आंध्र प्रदेश, छत्तीकसगढ़, हरियाणा, मध्यय प्रदेश, ओडिशा और पंजाब।	भारतीय खाद्य निगम ने पहले ही आंध्र प्रदेश, छत्तीधसगढ़उड़ीसा और मध्य। प्रदेश में खरीद प्रचालन पूरी तरह राज्यद सरकारों को सौंप दिए हैं। भारतीय खाद्य निगम पंजाब और हरियाणा में भी संबंधित राज्य। सरकारों के अनुरोध पर खरीद प्रचालनों में भाग ले रहा है।
2.	भारतीय खाद्य निगम कमी वाले राज्यों में खाद्यान्नि भेजने के लिए इन राज्य सरकारों (मिल मालिकों से नहीं) से केवल अधिशेष (एनएफएसए के अंतर्गत राज्यों की आवश्यककताओं को घटाने के बाद) मात्रा ही स्वीएकार करेगा।	विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) वाले राज्यों के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल अधिशेष खाद्यान्न स्वीनकार किए जाते हैं।
3.	भारतीय खाद्य निगम को उन राज्यों को सहायता देना चाहिए जहां किसानों को न्यूीनतम समर्थन मूल्य से काफी कम मूल्य पर मजबूरी में बिक्री करनी पड़ती है और जिन राज्यों में प्रायः कृषि जोत का आकार छोटा है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिेम बंगाल, असम आदि।	पूर्वी राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश , बिहार, पश्चिम बंगाल , असम, ओडिशा और झारखंड में रबी विपणन मौसम 2013-14 के दौरान गेहूं की खरीद 6.85 लाख टन थी , जो रबी विपणन मौसम 2019-20 में बढ़कर 37.04 लाख टन (दिनांक 08.07.2019 की स्थिति के अनुसार) हो गई है और खरीफ विपणन मौसम 2013-14 के दौरान धान/चावल की खरीद 62.29 लाख टन थी, जो खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में बढ़कर 105.12 लाख टन (दिनांक 08.07.2019 की स्थिति के अनुसार) हो गई है।
4.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने स्टॉकिंग प्रचालन विभिन्न एजेंसियों को आऊटसोर्स कर देने चाहिए।	भारतीय खाद्य निगम अपने स्टॉकिंग प्रचालन विभिन्न एजेंसियों को आऊटसोर्स कर रहा है।
5.	कवर्ड और प्लिंथ (कैप) भंडारण को क्रमशः समाप्त किया जाना चाहिए और कैप में खाद्यान्नों का कोई स्टॉक 3 माह से अधिक अवधि तक नहीं रहना चाहिए। जहां कहीं संभव हो , कैप के स्थान पर साइलो बैग प्रौद्योगिकी और पारम्परिक भंडारण का प्रयोग किया जाना चाहिए।	उच्च स्तारीय समिति की सिफारिशों के अनुसार किराए पर ली गई 1.94 लाख टन की कैप क्षमता को किराए से हटा दिया गया था। उपभोग वाले क्षेत्रों में कैप में किसी स्टॉक का भंडारण नहीं किया गया है।
6.	जब कभी स्टॉक बफर मानकों से अधिक स्टॉक हो जाता है तो ओएमएसएस के माध्यम से अथवा निर्यात बजारों में स्टॉनक को समाप्तह करना।	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत ई-नीलामी के माध्यम से अतिरिक्तय स्टॉरक का निपटान किय जाता है। बिक्री बढ़ाने और रखरखाव की लागत को कम करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकल निविदा में खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत चावल की खरीद के लिए उच्चतम सीमा को 15,000 टन से बढ़ाकर 25,000 टन करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत बल्क उपभोक्ताओं को गेहूं की बिक्री की न्यूनतम मात्रा 100 लाख टन से घटाकर 50 लाख टन करने का भी निर्णय लिया है।
7.	भारत को और अधिक बल्क हैंडलिंग सुविधाओं की आवश्यकता है , आगामी 3-5 वर्षों के दौरान लगभग 100 लाख टन की साईलो क्षमता (गेहूं और चावल दोनों के लिए) का निर्माण किया जाना चाहिए।	7.25 लाख टन क्षमता के साईलो का निर्माण किया गया है (दिनांक 01.07.2019 की स्थिति के अनुसार)

जारी.....2/-

8.	उच्च स्तरीय समिति ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी में अत्यधिक विसंगति देखी थी। ऐसा अधिसूचित डिपो में प्रोत्सा हन पद्धति और व्यागपक रूप से प्रयुक्त अप्रत्यशक्ष श्रम के कारण हुआ है। या तो इन डिपुओं को अधिसूचना हटाते हुए अथवा इन डिपुओं को राज्य को सौंपते हुए अथवा निजी क्षेत्र को संविदा सेवा देते हुए और प्रति व्य क्ति जिसे उनके साथ सहमत कार्य को 1.25 बार से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, को प्रोत्सा5हन की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए इसका समाधान किया जाना चाहिए। इन डिपुओं का यंत्रिकरण करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि विभागीय श्रमिकों पर निर्भरता कम हो सके। उच्च स्तिरीय समिति सिफारिश करती है कि संविदा श्रमिकों , जो सर्वाधिक परिश्रमपूर्वक कार्य करते हैं और जिनकी संख्या सबसे अधिक है , को बेहतर सुविधाएं देते हुए इनकी स्थिति को सुधारा जाना चाहिए।	• श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 06.07.2016 को अधिसूचना द्वारा सभी 226 डिपुओं/रेलहेडों को संविदा श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की प्रयोज्यता से 2 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान की थी। इस छूट को दिनांक 26.06.2018 की अधिसूचना द्वारा आगे 2 वर्षों (अर्थात दिनांक 05.07.2020 तक) बढ़ा दिया गया था। • छूट संबंधी अधिसूचना के परिणामस्व0रुप भारतीय खाद्य निगम ने 45 ,009 श्रमिकों में से 9 ,193 श्रमिकों की पुनः तैनाती की गई है, इस प्रकार 149 विभागीय डिपो और 72 रेलहेड खाली किए गए हैं और खाली किए गए डिपुओं/रेलहेडों में 29,284 संविदा श्रमिक तैनात किए गए हैं। • सीजीआईटी, कड़कड़डूमा , दिल्लीय द्वारा दिनांक 05.07.2016 को पारित आदेश के अनुसरण में विभागीय श्रमिकों के डेटम को प्रतिदिन प्रति कामगार 105 बोरी से संशोधित करके 135 बोरी प्रति कामगार प्रतिदिन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वगरुप प्रोत्साोहन में लगभग 30 प्रतिशत की क आई है। • संविदा श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार करने और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा ईपीएफ , न्यूसनतम मजदूरी ईएसआई , कामगार क्षतिपूर्ति आदि जैसे पर्याप्तप कल्याणकारी प्रावधान और कैंटीन/विश्राम कक्ष, शौचालय तथा पेयजल जैसी सुविधाएं सुनिश्चि त करने के लिए फील्ड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
9.	खरीद में गुणवत्ता जांच का अनुपालन किया जाना चाहिए और केन्द्रीय पूल में , निर्दिष्ट गुणवत्ता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। गुणवत्ता जांच भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं/अथवा किसी थर्ड पार्टी की मान्यता प्राप्त एजेंसी से पारदर्शी तरीके से गुणवत्ता जांच की मशीनीकृत प्रक्रिया की सहायता से की जा सकती है।	भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर के साथ भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक करार निष्पादित किया है। खरीदे गए तथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण में रखे गए खाद्यान्नों के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु समय-समय पर एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित एनएबीएल की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 01.04.2019 से 30.04.2019 तक पूरे भारत से भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों से खाद्यान्नों के 156 नमूने गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से 62 नमूनों के निष्कर्ष प्राप्त हो चुके हैं तथा ये एफएसएसआर 2011 की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाए गये हैं। गुणवत्ता जांच हेतु यंत्रीकृत प्रक्रिया लागू करने के लिए प्रगत संगणन विकास केंद्र, कोलकाता द्वारा विकसित 30 कंप्यूटरीकृत चावल विश्लेषक उपकरण (अन्नदर्पण स्मार्ट), खरीद करने वाले 07 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा आन्ध्र प्रदेश के 30 स्थानों पर खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान उपलब्ध कराए गए थे और इन स्थानों पर कंप्यूटरीकृत चावल विश्लेषक उपकरणों के माध्यम से चावल स्वीकार किया गया था। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम अर्थात 2018-19 के दौरान इन कंप्यूटरीकृत चावल विश्लेषक उपकरणों को बड़े केन्द्रों में स्थानांतरित किया गया है और कंप्यूटरीकृत चावल विश्लेषक उपकरणों के माध्यम से चावल स्वीकार किया जा रहा है।